मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल - 462 016

फोन नं. 0755-2430154, 2464643, फैक्स न. 2981055

ई-मेल- secretary@mperc.nic.in , वेबसाइट- www.mperc..in

क्रमांकः एम.पी.ई.आर.सी./2021/ 265 भोपाल, दिनांकः 12.02.2021

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 05/2021)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी–35 (II) वर्ष 2015) दिनांक 17 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया । जिसका प्रकाशन दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के राजपत्र में किया गया था। आयोग द्वारा इन विनियमों मे तृतीय संशोधन दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को अधिसूचित किया जिनका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 27 नवम्बर 2020 को प्रकाशित हुआ।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर (जिन्हें ''याचिकाकर्ता'' उल्लेखित किया गया है), राज्य शासन की पूर्ण स्वमित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून 2012 को प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों बाबत् अनुबंध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 की सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की पूर्ति तथा दर निर्धारण के लिए 15.01.2021 को यचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 09.02.2021 को आयोजित सुनवाई में याचिका को स्वीकार किया है। आयोग ने एतद् द्वारा सुझावकर्ताओं के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा दर प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित है:–

तलिका 1 : वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :–

(सभी आँकड़े रू. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स.बस.वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी. पॉ.मै.कं. की लागत सहित)	9,558	10,087	13,772	33,416
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार (राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित)	993	1,049	1,218	3,259
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	266	318	203	787
कर्मचारी व्यय	1,205	1,267	1,001	3,474
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	122	107	129	358
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं सँदिग्ध ऋण)	127	133	162	422
अवमूल्यन	669	557	327	1,554
ब्याज एवं वित्त प्रभार	351	445	238	1,034

विवरण	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	म.प्र. राज्य
अंशपूँजी पर प्रतिलाभ	570	534	286	1,391
सकल राजस्व आवश्यकता	**13,860**	**14,498**	**17,336**	**45,694**
घटायें अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	381	336	163	880
कुल राजस्व आवश्कता	**13,479**	**14,162**	**17,173**	**44,814**
सत्यापन राशि को शामिल कर सकल राजस्व आवश्यकता (अ)	**13,479**	**14,162**	**17,173**	**44,814**
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	12,679	13,315	16,191	42,185
कुल राजस्व अंतर (अ–ब)	801	846	982	2,629
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	**13,479**	**14,162**	**17,173**	**44,814**
प्रस्तावित दरों पर अंतर	0	0	0	0

याचिका कर्ताओं द्वारा रू. 2629 करोड़ के राजस्व अंतर की भरपाई वित्तीय वर्ष 2021–22 की दरों के माध्यम से करने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के राजस्व अन्तर रूपये 2629 करोड़ की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर–श्रेणीवार औसत वृद्धि निम्नानुसार है:–

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	**रू करोड़ मे**	**रू करोड़ मे**	**रू करोड़ मे**	**प्रतिशत में**
एल.व्ही-1	घरेलू	18,330	11,198	12,130	932	8.32%
एल.व्ही-2	गैर-घरेलू	3,619	3,299	3,392	93	2.82%
एल.व्ही-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	1,247	828	878	50	6.04%
एल.व्ही-4	निम्नदाब उद्योग	1,455	1,334	1,417	83	6.22%
एल.व्ही-5	कृषि पम्प	25,143	14,446	15,621	1,175	8.13%
एल.व्ही-6	ई.व्ही. चार्जिंग	3	2	2	0	0.00%
	योग (निम्नदाब)	**49,797**	**31,105**	**33,439**	**2,333**	**7.50%**
एच.व्ही-1	रेल्वे कर्षण	111	68	68	0	0.00%
एच.व्ही-2	कोयला खदाने	534	478	484	6	1.26%
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	7,522	6,300	6,463	163	2.59%
एच.व्ही-3.2	गैर औद्योगिक	1,127	1,041	1,065	24	2.31%
एच.व्ही-3.3	शॉपिंग मॉल	116	96	100	4	4.17%
एच.व्ही-3.4	गहन पावर उद्योग	2,782	1,724	1,747	24	1.33%
एच.व्ही-4	मौसमी	21	21	22	1	4.76%
एच.व्ही-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवँ कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1,489	988	1,051	63	6.38%
एच.व्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	480	344	355	11	3.20%
एच.व्ही-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	16	16	17	1	6.25%
एच.व्ही-8	उच्च दाब ई.व्ही. चार्जिंग	6	4	4	0	0.00%
	योग (उच्चदाब)	**14,204**	**11,080**	**11,376**	**296**	**2.67%**
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	**64,001**	**42,185**	**44,814**	**2,629**	**6.23%**

उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा टैरिफ की संरचना तथा उनकी सामान्य निबंधन एवं शर्तो में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं जो कि याचिका के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णित किये गये हैं । मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है:

1. **ई– व्हीकल दर श्रेणी हेतु नियत प्रभार में कमी** – म.प्र. राज्य के अंतर्गत ई– वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु याचिकाकर्ताओं ने नियत प्रभार में 50 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है जिससे इस श्रेणी की औसत बिलिंग दर अनुज्ञप्तिधारी की औसत प्रदाय की लागत से कम हो जो कि केन्द्र की ई–वाहन प्रोत्साहन नीति के अनुसार है ।

2. **एल.व्ही.–1 दर श्रेणी में अर्फोडेबल रैन्टल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (ए.आर.एच.सी) का समावेश :** याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत तैयार किये जा रहे अर्फोडेबल रैन्टल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (ए.आर.एच.सी) का समावेश घरेलू विद्युत दर में करने का प्रस्ताव किया है ।

3. **एल.व्ही–2 एवं एच.व्ही–3 दर श्रेणी की प्रयोज्यता के अंतर्गत टेलीकाम टॉवर्स का समावेशः** बेहतर अनुयोजकता एवं वर्तमान कनेक्शन से मोबाईल टॉवर को चार्ज की अनुमति हेतु उपभोक्ताओं द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरणों के संबंध में एलव्ही–2 एवं एच. व्ही. 3 दर श्रेणी की प्रयोज्यता में टेलीकाम टावर्स का समावेश किया गया है ।

4. **सभी अस्थाई कनेक्शन हेतु संबंधित श्रेणी की सामान्य दर के 1.25 गुणा की दर परः** दर श्रेणियों के सरलीकरण हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित है कि यदि उपभोक्ता निम्नदाब की किसी भी श्रेणी में अस्थाई कनेक्शन की मांग करता है तो, जहॉ उल्लेखित न किया गया हो तो, अस्थाई प्रदाय हेतु नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की दर उक्त श्रेणी की सामान्य दर के 1.25 गुणा होगी ।

5. **उच्चदाब एच.व्ही–4 दर श्रेणी की प्रयोज्यता में संशोधन :** सीजन की अधिकतम अनुज्ञेय अवधि का प्रकल्पन् बिलिंग के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

6. **उच्चदाब एच.व्ही.–5 दर श्रेणी की प्रयोज्यता में नदी जोड़ो परियोजना का समावेश :** 220 के व्ही पर नदी जोड़ो परियोजना के प्रत्याशित कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे उच्चदाब एच.व्ही.–5 दर श्रेणी की प्रयोज्यता में समावेशित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां / टीप / सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई–5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक **08.03.2021** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये । आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई–मेल (secretary@mperc.nic.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियां दिनांक **08.03.2021** तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए । दिनांक **08.03.2021** के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी / हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 15.02.2021 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर, अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रू. 1000/– के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय ''उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर'', अथवा ''क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर'' अथवा ''क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर'' अथवा ''क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल'', क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/– के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है । याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की संक्षेपिका नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है ।

यदि आवश्यक हुआ तो आयोग द्वारा दिनांक **09.03.2021** एवं **10.03.2021** **को प्रातः 11.00** बजे जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई. डी. आयोग को भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव